रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 799] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2017/फाल्गुन 29, 1938
No. 799] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2017/PHALGUNA 29, 1938

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2017

का.आ. 889(अ).--सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

और, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (मंत्रालय कहा गया है) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) (स्कीम कहा गया है), की केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को युवाओं (फायदाग्राही कहा गया है) के लिए कौशल विकास कार्यक्रम के रूप में चला रही है, जिसका कार्यान्वयन केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) और राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों के कौशल विकास मिशनों के माध्यम से हो रहा है।

और, देश भर में फैले विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा ज़मीनी स्तर पर स्थापित विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कीम में तीन सेवाओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) अर्थात्: (i) अल्पकालिक प्रशिक्षण, (ii) पूर्व शिक्षण मान्यता और (iii) विशेष परियोजनों की पेशकश की गई है। केंद्रीय सरकार द्वारा स्कीम के अधीन कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन का पूरा भुगतान किया जाता है और सफल अभ्यार्थियों को पुरस्कार राशि भी दी जाती है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं।

अत:, अब, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्ति परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों की सुविधा का उपभोग करने के इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षा है कि वे आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों की सुविधा का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उसे [**** तक] आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनिमय की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची विशिष्ट भारतीय पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनिमयन 12 के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय अपने स्वयं विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में ऐसे आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय अपने स्वयं विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्टरों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे या स्वयं ही रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।

परंतु फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जागंगे, अर्थात्:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, जो पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है, और

(ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पैन) कार्ड; या

(v) किसान फोटो पासबुक; या

(vi) मोटर यान अधिनिमय, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्रदाता प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय शीर्षनामा पर उसके फोटो सहित जारी पहचान प्रमाण पत्र; या

(viii) पासपोर्ट; या

(ix) राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन या केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष रूप से पदाविहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. (1) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और अपने माध्यम से निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वयं मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से अपेक्षित व्यवस्थाएं, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, करेंगे, अर्थात्:-

(2) मीडिया के माध्यम से और आवेदकों या फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने में आधार की आवश्यकता के प्रति उन्हें जागरूक कराने हेतु जारी किए जाने वाले व्यष्टिक जानकारी के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा कि यदि वे अभी तक नामांकित नहीं हैं तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे [**** तक] अपने क्षेत्रों में स्थित निकटतम नामांकन केंद्रों में स्वयं को नामांकित करा लें। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि फायदाग्राही अपने निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तब राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वयं मंत्रालय में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा होगी और फायदाग्राहियों से पैरा 1 के उप-पैरा (3) के

परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट और अन्य ब्यौरें अर्थात्, पता, मोबाइल नं. के साथ अपना नाम देकर उनके वेब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपना अनुरोध रजिस्टर कराने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के राजपत्रों में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[सं. बी-12011/02/2017- एसएनपी]

राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2017

S.O. 889(E).– Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering a Centrally Sponsored Scheme of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) (hereinafter referred to as the Scheme) as skill development programme for youths (hereinafter referred to as the beneficiaries) which is implemented by the Central Government through National Skill Development Corporation (NSDC) (hereinafter referred to as the Implementing Agency) and the Skill Development Missions of the State Governments and Union territory Administrations;

And, whereas, the training is delivered through various training centres at the ground level established by various training providers that are spread across the country. The Scheme offers three services (*hereinafter referred to as the benefits*), namely, (i) Short Term Training (ii) Recognition of Prior Learning; and (iii) Special projects. The skill training and certification is completely paid for by the Central Government under the Scheme and reward money is also provided to the successful candidates, which involve recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Individuals desirous of availing the benefits under the Scheme are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by [****], provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration or the Ministry itself through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration or the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by Income Tax Department; or

(v) Kisan Photo Passbook; or

(vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of Identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or

(viii) Passport; or

(ix) Any other documents as specified by the State Government or Union territory Administration or the Central Government:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration or the Central Government.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for the implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration or the Ministry itself through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(2) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by [****], in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration or the Ministry itself through its Implementing Agency is required to create enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or Union territory Administration or the Ministry through its Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[No.B-12011/02/2017-SNP]

RAJESH AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.21 12:15:44 +05'30'